

मंगलवार

दिनांक :- 02-01-2018

### शांति भंग करने के 20 आरोपी गिरफ्तार :-

उदयमान उ०नि० थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा स०मा० ने 1 सीताराम पुत्र श्रीजगनलाल जाति मीना उम्र 35 साल निवासी धूमणा थाना सिकराय जिला दौसा 2 शिवराम पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति मीना उम्र 35 साल निवासी जर्यासंहपुरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा 3 जगदीश पुत्र श्री पंखीराम जाति मीना उम्र 28 साल निवासी धूमणा थाना सिकन्दरा जिला दौसा 4 बलराम पुत्र बाबूलाल जाति मीना उम्र 28 साल निवासी जर्यासंहपुरा थाना सिकन्दरा जिला दौसा 5 राजेश पुत्र गिरांज प्रसाद जाति मीना उम्र 30 साल निवासी औंद मीना थाना सलेमपुर जिला दौसा 6 पुखराज पुत्र श्री मूलचन्दा मीना उम्र 28 साल निवासी कालाखोह थाना मानपुर जिला दौसा 7 राजेश कुमार पुत्र श्री लैखाराम जाति मीना उम्र 24 साल निवासी राजोर थाना बालघाट जिला करौली 8 रमेश पुत्र श्री बोदुराम जाति योगी उम्र 19 साल निवासी खानपुरा थाना सामोद जिला जयपुर 9 सुन्दोर पुत्र श्री बनवारा जाति योगी उम्र 18 साल निवासी म्हार थाना सामोद जिला जयपुर 10 शीशपाल पुत्र श्री कजोड जाति कुमावत उम्र 19 साल निवासी खानपुरा थाना सामोद जिला जयपुर 11 अनिल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति कुमावत उम्र 20 साल निवासी चीतवाडी थाना सामोद जिला जयपुर 12 अजय पुत्र श्री कमल कुमार जाति जांगड उम्र 18 साल निवासी म्हाजर कला थाना सामोद जिला जयपुर 13 फूलचन्द पुत्र श्री आशिश जाति कुमावत उम्र 19 साल निवासी म्हार कला थाना सामोद जिला जयपुर 14 रामोतार पुत्र जगदीश जाति मीना उम्र 30 साल निवासी कूकस थाना आमेर जिला जयपुर 15 अशोक पुत्र मोहनसिंह जाति लुहार उम्र 19 साल निवासी गुनावता कूकस थाना आमेर जिला जयपुर 16-खेमराज पुत्र गोविन्दिनारायण जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवासी शिवप्रताप कांलोनी म०न० 6 थाना केकडी जिला अजमेर 17- अनिल कुमार पुत्र सुरजन जाति मीना उम्र 20 साल निवासी गुनावता कूकस थाना आमेर जिला जयपुर 18- भवानी शंकर पुत्र दुगालाल जाति लुहार उम्र 22 साल निवासी गुनावता कूकस थाना आमेर जिला जयपुर 19- भरत पुत्र रामहेत मीना उम्र 24 साल निवासी सकरावदा थाना किशनगंज जिला बांरा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार राजबब्बर हैड कानि० थाना खण्डार ने हनुमान पुत्र गिरांज उम्र 30 साल जाति मीना निवासी मीना मोहल्ला खण्डार थाना खण्डार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

### दर्ज मुकदमात का आरोपी गिरफ्तार :-

प्रताप सिंह स०उ०नि० थाना सूरवाल ने दर्ज मुकदमात के आरोपी देवा उर्फ देवीलाल उर्फ देवपाल पुत्र रामफूल जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी सिरोही थाना सूरवाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमती कैलासी पत्नी चतरू जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी सिरोही थाना सूरवाल ने दिनांक 25.12.2017 को थाना सूरवाल पर मु०नं० 248/17 धारा 323,341,452,34,ता०हि० में दर्ज कराया था।